

कार्यालय जापान सं०-एफ०-11013/6/94-स्था० १क१

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 1994

कार्यालय जापान

विषय: सेवा मामलों से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया, नियमों, आदेशों  
आदि का कार्यान्वयन।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक प्रशासन की सेवा शर्तों तथा अन्य पहलुओं से संबंधित नियम तथा विनियम तैयार करने तथा नीतियों को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख मंत्रालय है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सरकारी कर्मचारियों के अपने-अपने मामलों पर विचार करने तथा इस विषय से संबंधित नियमों तथा आदेशों के अनुसार उन पर उपयुक्त आदेश जारी करने के लिए उत्तरदायी है।

2. इस विभाग में इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निर्धारित नीतियों तथा नियमों के गलत कार्यान्वयन अर्थात् उनका कार्यान्वयन न किए जाने के कारण सेवा के मामलों संबंधी मुद्दों में त्रुटि बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वदा कर्तव्य निष्ठा बनाए रखे। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन और प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने विवेक का सर्वोत्तम उपयोग करे। अतः समस्त सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे सेवा संबंधी निर्धारित नीतियों, नियमों तथा विनियमों इत्यादि का कार्यान्वयन ईमानदारी से करें। यदि सेवा मामलों पर निर्धारित नीतियाँ, नियमों, आदेशों का अनुपालन प्रशासनिक प्राधिकारियों इत्यादि द्वारा सही ढंग से कार्यान्वित किया जाता है तो सेवा मामलों से संबंधित मुद्दों में पर्याप्त कमी आएगी।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सेवा मामलों से संबंधित निर्धारित नीतियों, नियमों आदेशों आदि का समुचित तथा समय से

कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करें। सभी संबंधितों पर यह बल दिया जाए कि ऐसा न किए जाने को गम्भीरता से लिया जाएगा।

कृ. मीनव

कृष्ण मेनन  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों

प्रति निम्न को :-

1. नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
5. सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन।
6. सी०डी०डी०टी०
7. कार्मिक, लोक शिक्षा यत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
8. कार्मिक, लोक शिक्षा यत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा अधिकारी।

कृ. मीनव

कृष्ण मेनन  
अवर सचिव, भारत सरकार